न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 61/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. ओमप्रकाश राठी पुत्र श्री धन्नालाल जाति राठी निवासी ग्राम खानपुरिया ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.) **(गैरनिगराकारान)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन अभिभाषक **(गैर निग. क्रम 1)**

निर्णय दिनांक 01.06.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 20.09.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 883 साइज 28X50 कुल क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003–04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता द्वारा जांच की गई जिसमें भी उक्त पट्टा आबादी [illegible] या जाता है। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि [illegible] कार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 20.09.2003 को जारी पट्टा संख्या 883 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:50 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज [illegible] जाकर, गैर निगराका[illegible] तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र क्रमांक 202 दिनांक

14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार कम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म गै.मु. आबादी भूमि है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। गैर निगराकार कम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार कम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार कम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार कम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार कम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 883 दिनांक 20.09.2003 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार कम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस जगह का जारी किया गया है यह पट्टे में दर्ज नहीं है। गैर निगराकार कम 1 का मकान पट्टा जारी किये जाने के पूर्व से बना हुआ है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार कम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5735/2021 बउनवान Lrs of Sukhdeo singh & others vs Adm (A) Sri Ganganagar & others में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 की छायाप्रति पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना प्रस्तुत विधि दृष्टांत से स्पष्ट है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को 150 वर्गगज भूमि से अधिक भूमि पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनु[illegible] जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की नि[illegible]कार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैरनिगराकार कम–1 श्री अ[illegible] को जारी पट्टा कमांक 883 दिनांक 20.09.2003 निरस्त [illegible] को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:50 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर